मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
(म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत संस्था : पंजीयन क्रमांक 8746/2000)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र 714 / 22/वि–12/टी–1/Circular/554/2016 भोपाल, दिनांक 13/01/2016

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई–................
जिला– .... (म.प्र.)

विषय– बिटूमिन के बिल पश्चात् भुगतान की कार्यवाही करने के संबंध में।

—0—

1) यह देखा गया है कि महाप्रबंधकों के द्वारा बिटूमन कार्य के रनिंग देयकों में उपयोग किए जा रहे बिटूमन के बिल नहीं लिए जाकर रनिंग देयकों का भुगतान किया जा रहा है, जो सही नहीं है। निर्देशित किया जाता है कि डामरीकृत आयटम के रनिंग भुगतान के साथ बिटूमन के बिल आवश्यक रूप से लिए जावे तथा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उनको क्रॉस (Cross) किया जाये तथा किस पैकेज के किस मार्ग पर उसका उपयोग किया जा रहा है, अंकित किया जाकर इसको दस्तावेज के रूप में नस्ती में संधारित किया जाये।

2) महाप्रबंधकों द्वारा डामरीकरण के आयटम से संबंधित QCR के अनुसार परीक्षण किया जाकर उसे निर्धारित स्थान पर QCR में इंद्राज नहीं किया जा रहा है। अतः इसके लिये निर्देशित किया जाता है कि सभी महाप्रबंधक उक्त QCR की जांच स्वयं कर इसे सुनिश्चित करायें। AG ऑडिट के परीक्षण के दौरान कुछ बिन्दुओं को प्राधिकरण के ध्यान में लाया गया है। जिनके संबंध में निम्न निर्देश जारी किये जाते है :–

   (a) Bitumen कार्य में OGPC एवं Seal Coat में उपयोग किये जाने वाले Aggregate की निर्धारित ग्रेडिंग सुनिश्चित कर परीक्षण परिणाम QCR रजिस्टर में संधारित करें।

   (b) PMC एवं सील कोट के Aggregate को ग्रेडिंग सुनिश्चित की जावे एवं Rolling के पहले 27 mm मोटाई में Mix बिछाना सुनिश्चित किया जावे।

   (c) प्रयोगशाला में आवश्यक टेस्ट उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।

   (d) QCR में मिट्टी के तथा GSB के Compatction के लिए सामग्री को OMC पर लाने के लिए NMC जांच करें उसकी जानकारी भी इंद्राज करने का प्रावधान है। अतः इसे भी सुनिश्चित किया जाये तथा OMC के लिए NMC को ध्यान में रखते हुए OMC ± 2% को प्राप्त करने कितना पानी मिलाया जाना है इसकी गणना कर पानी मिलाने की मात्रा सुनिश्चित की जाये। इसके आधार पर OMC की जानाकरी QCR में इंद्राज की जाये।

   (e) CC Pavement के लिए M-30 कांक्रीट उपयोग के पूर्व उसका Mix Design कराया जाना सुनिश्चित करें तथा इसकी जानकारी पीआईयू में संधारित करें।

प्राधिकरण द्वारा जारी निर्माणाधीन सड़कों में सीमेन्ट कांक्रीट पेवमेंट कार्य की गुणवत्ता विषयक पत्र क्रमांक 10432 दि. 19.05.14 अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(f) CC Pavement के Side में Hard Shoulder आवश्यक रूप से बनाया जावे तथा CC Drain निर्माण हेतु प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र क्र 16835 दि. 28.08.15 अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(g) WBM/WMM लेयर में उपयोग किये जाने वाले Aggregate की Loose Thickness सुनिश्चित की जाये तथा इसकी जानकारी माप पुस्तिका में प्रत्येक 100 मीटर के लिये दर्ज की जाये। WBM/WMM के Compaction के पश्चात् इसकी Compacted Thickness के माप भी MB में प्रत्येक 100 मीटर के लिए दर्ज किये जाये। QCR रजिस्टर में इसे संधारित करें।

(h) ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यो हेतु लगाये जाने वाले तकनीकी स्टॉफ की नियुक्ति सुनिश्चित करें। तकनीकी स्टॉफ लगाने हेतु अनुबंध अनुसार राशि की कटौती सुनिश्चित की जावे।

(एम. के. गुप्ता)
प्रमुख अभियंता
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क,विकास प्राधिकरण,
भोपाल (म.प्र.)

पृ.क्र 715 / 22 / वि–12 / टी–1 / Circular / 554 / 2016 भोपाल, दिनांक 13 / 01 / 2016

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य महाप्रबंधक, **(समस्त)** मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण, की ओर सूचनार्थ।
2. महाप्रबंधक (तक.), **(समस्त)** मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. गार्ड नस्ती, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण, की ओर सूचनार्थ।
4. प्रबंधक (आई.टी.), मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण, मुख्यालय भोपाल को निर्देशित किया जाता है कि यह पत्र MPRRDA की Website के Circular Section में upload करें।

प्रमुख अभियंता
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क,विकास प्राधिकरण,
भोपाल